न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
41 / 2019	02–12–2019	23/05/2022

बउनवान :–

01. शमशेरसिंह पुत्र छीणासिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम रायपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

————:: प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

—————:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 102 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 103 रकबा 5 बिस्वा जिसका हाल आराजी खसरा नम्बर 258 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 146 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम रायपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। वास्ते मुलाहिजा साबिक रिकार्ड मीलान क्षेत्रफल व जमाबन्दीयात संलग्न प्रार्थना पत्र है। आराजी व अन्य आराजी मिन प्रार्थी के पिता छीणासिंह पुत्र कालासिंह की कब्जे काश्त पट्टेदारी खातेदारी की आराजी थी। जिस पर मिन प्रार्थी का पिता छीणासिंह अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल होकर काश्त करता रहा है। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत 2016 लगायत 2020 में दर्ज रिकार्ड है। सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने जमाबन्दी संवत 2029 पैमुद करते हुये समय मिन प्रार्थी के पिता छीणासिंह के खाते में 11 बिस्वा जमीन का अमल उमरखॉ पुत्र मलखॉ के नाम गलत अंकन कर दिया। इस बात की जानकारी मिन प्रार्थी के पिता छीणासिंह को होने पर मिन प्रार्थी के पिता छीणासिंह ने सैटलमेन्ट विभाग के आफिसर ने अपने आदेश कमांक/फा/जॉच/32/76/350 दिनांक 20.01.76 के अनुसार उमरखां पुत्र मलखा जाति मेव सा. देह खातेदार हटाया गया। उक्त आदेश के उपरान्त जमाबन्दी संवत् 2029 में संशोधन करते हुये उमर खॉ पुत्र मलखां का नाम हजफ कर दिया गया परन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा संवत् 2035 की जमाबन्दी करते समय पुनः उमरखां पुत्र मलखां के नाम 11 बिस्वा जमीन मिन प्रार्थी के पिता छीणासिंह के खाते में बेजा रूप से गलत तौर पर दर्ज कर दिया। उमर खॉ का देहान्त हो चुका है तथा जमाबन्दी संवत 2035 में उमरखां के स्थान पर श्योदान पुत्र उमरखां के नाम का अमल कर दिया जो हाल जमाबन्दी में श्योदान पुत्र उमरखां के नाम का गलत अंकन चला आ रहा है। बाद की जमाबन्दी संवत 2039 में राजस्व कर्मचारियों ने हाल आराजी खसरा नम्बर 258 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में से 4 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा में से 5 बिस्वा कुल 9 बिस्वा उमर खां के वारिस श्योदान के नाम का गलत अंकन चला आ रहा है। उमरखॉ या उसके वारिस श्योदान का उक्त वर्णित आराजी से कभी कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है, ना ही कभी काबिज व दाखिल नहीं रहा है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को संवत् 2035 की जमाबन्दी पैमुद करते समय पूर्व रिकार्ड व मौके के अनुसार मिन प्रार्थी के पिता छीणासिंह के नाम का अमल करना चाहिये था। परन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने गलत तौर पर उमर खॉ के नाम 9 बिस्वा जमीन का अमल किया है, जो गलत अमल श्योदान पुत्र उमर खां के नाम है, जो शुद्वि किये जाने योग्य है। मिन प्रार्थी के पिता छीणासिंह के देहान्त उपरान्त उसके वारिसान मिन प्रार्थी व वरियामसिंह व कश्मीरसिंह अपने पिता की विरासत से मिली आराजी पर बदस्तूर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल चले आ रहे है। प्रार्थी व उसके भाईयों कानून कायदे की कोई जानकारी नहीं रखते है, जब मिन प्रार्थी को इस गलत अमल की जानकारी हुई तो

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2025.03.04 11:32:57 IST
Reason: SelfAttested

...दिनांक 14.08.20.. को शुद्धि बाबत तहसीलदार तिजारा को पत्र लिखा। जिस पर [illegible] के व पटवारी हल्का से उक्त वर्णित आराजी की मौका रिपोर्ट मंगवाई। तहसीलदार [illegible] को पत्र आदेश पारित किया है कि उक्त प्रकरण [illegible] में [illegible] की पालना नहीं [illegible] है। इसलिए मिन प्रार्थी [illegible] हकूकों की [illegible] प्रार्थना [illegible] हुआ है। उक्त वर्णित आराजी मिन प्रार्थी व [illegible] भाईयों का [illegible] पिता डीमासिंह से [illegible] है तथा प्रार्थी व उसके भाई [illegible] से ही काबिज व दाखिल [illegible] काश्त [illegible] उक्त [illegible] प्रार्थी के हकूकों पर कुठाराघात होता है। इसलिए मिन प्रार्थी उक्त वर्णित आराजी से [illegible] उमरखां के नाम को हजफ करवाकर आपक व आपके भाईयों [illegible] व [illegible] सिंह [illegible] का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 [illegible] पत्र का निवेदन है कि वाकिक खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 162 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा 163 रकबा 5 बिस्वा जिसका हाल नम्बर 258 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 148 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम रायपुर तहसील तिजारा जिला [illegible] जमाबन्दी संवत 2030 के बाद आई गलत अमल को वाकिक रिकार्ड व जमाबन्दी संवत 2029 के आधार [illegible] करते हुए ग्यादान पुत्र उमरखां के नाम को हजफ कर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई [illegible]सिंह व [illegible]सिंह की शुद्धि किये जाने की आज्ञा पारित फरमाई जावे।

[illegible] पर तहसीलदार तिजारा की रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार तिजारा ने अपनी रिपोर्ट में अवगत [illegible] है कि संवत 2029 में आराजी खसरा नम्बर 148/0.37 है0, 258/0.32 है0 किता 2 रकबा 0.67 है0 को [illegible] एस.ओ. अलवर के पत्र क्रमांक/फा/जांच/32/75/350 दिनांक 20.01.76 के अनुसार उमरखां पुत्र [illegible] जाति मेव सा. देह खातेदार 0.11 से हटाया गया है। संवत 2033 से हाल जमाबन्दी तक इन्द्राज बदस्तूर [illegible] रहा है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान पर [illegible]सिंह [illegible] का कब्जा काश्त है। ग्यादान पुत्र उमरखां [illegible] का कब्जा नहीं है।

[illegible] का अवलोकन किया। तहसीलदार तिजारा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार [illegible] खसरा नम्बर 148/0.37 है0, 258/0.32 है0 के आदेश एस.ओ. अलवर के पत्र क्रमांक/फा/जांच/[illegible]75/350 दिनांक 20.01.76 के अनुसार उमरखां पुत्र नत्थखां जाति मेव सा. देह खातेदार 0.11 से हटाये जाने [illegible] पारित किये जाने के उपरान्त उक्त आदेश की पालना जमाबन्दी संवत 2033 में नहीं की गई। हाल [illegible] में उमर खां के वारिसान का नाम उक्त रकबे पर दर्ज है। जिसे हजफ कर प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया [illegible] न्यायोचित है।

अतः खसरा नम्बर 258 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 148 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम रायपुर तहसील [illegible] जिला अलवर पर दर्ज ग्यादान पुत्र उमर खां का हजफ कर डीमासिंह के वारिसान के नाम दर्ज किये जाने [illegible] आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2025.03.04 11:32:57 IST
Reason: SelfAttested